भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1398
जिसका उत्तर गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

विधिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

1398 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या भारतीय विधिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय न्यायपालिका स्तर पर अब तक कितना कार्य किया गया है ; और
(घ) इस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संबंध में सरकार की भविष्य की क्या योजनाएँ हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना के अधीन विकसित ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में नवीनतम तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके उपसमूह, मशीन लर्निंग (एमएस), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), प्राकृतिक भाषा प्रक्रमण (एनएलपी) का उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अनुवाद, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, स्वचालित फाइलिंग, बुद्धिमान शेड्यूलिंग, मामला सूचना प्रणाली को बेहतर बनाने तथा चैटबॉट्स के माध्यम से वादकारियों से संवाद करने जैसे क्षेत्रों में एकीकृत किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक सॉफ्टवेयर उपकरण, **लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट (एलईजीआरएए)**, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ई-न्यायालय), एनआईसी पुणे की टीम द्वारा, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। यह उपकरण न्यायाधीशों को विधिक शोध, दस्तावेज़ विश्लेषण और न्यायिक निर्णय सहायता में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, **डिजिटल न्यायालय 2.1** विकसित किया गया है, जो न्यायिक अधिकारियों को एकीकृत निर्णय डेटाबेस, टिप्पणियों

सहित दस्तावेज़ प्रबंधन, स्वचालित ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स तथा जस्टिस ऐप के साथ सहज संयोजकता उपलब्ध कराता है। डिजिटल न्यायालय 2.1 में वॉइस-टू-टेक्स्ट सुविधा (एएसआर - श्रुति) और अनुवाद (पीएएनआईएनआई) की क्षमता भी है, जो न्यायाधीशों को आदेश और निर्णय के उच्चारण (डिक्टेशन) में सहायता करती है।

उच्चतम न्यायालय ने आईआईटी मद्रास के साथ निकट समन्वय में एआई और एमएल आधारित उपकरण विकसित किए हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ़्टवेयर में एकीकृत कर दोषों की पहचान के लिए लागू किया है। इस प्रोटोटाइप का उपयोग 200 एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को उपलब्ध कराया गया है। उच्चतम न्यायालय, आईआईटी मद्रास के सहयोग से, दोषों की पूर्ति, मेटाडाटा निष्कर्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और मामला प्रबंधन सॉफ़्टवेयर **आईसीएमआईएस (इंटीग्रेटेड मामला प्रबंधन और सूचना प्रणाली)** के साथ एकीकरण के लिए एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण भी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एक एआई आधारित उपकरण (**एसयूपीएसीई) (**उच्चतम न्यायालय पोर्टल सहायक न्यायालय दक्षता**)** भी विकास के प्रायोगिक चरण में है। यह उपकरण मामलों के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य को समझने, सुसंगत पूर्व निर्णयों की बुद्धिमान खोज करने तथा मामलों की पहचान करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने पर केंद्रित है।

एआई आधारित समाधान वर्तमान में नियंत्रित पायलट परिनियोजन तक सीमित हैं, जिनका उद्देश्य उत्तरदायी, सुरक्षित और व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने को सुनिश्चित करना है। ई-समिति इन पायलट पहलों का मूल्यांकन कर रही है, और इनके परिचालन ढांचे का निर्माण और विनियमन संबंधित उच्च न्यायालयों के कारबार नियमों और नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

न्यायिक क्षेत्र में एआई के उपयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक **एआई समिति** का गठन किया है, जो भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग की अवधारणा, कार्यान्वयन और मॉनीटरी के लिए उत्तरदायी है। ई-न्यायालय परियोजना के **चरण-III**, जिसे 2023-24 से 4 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है, के अधीन **भविष्य की तकनीकी प्रगति (एआई, ब्लॉकचेन आदि)** घटक के लिए 53.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एआई को न्यायपालिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रशासनिक दक्षता में सुधार, मामलों की लंबित संख्या का पूर्वानुमान, प्रक्रियाओं के स्वचालन और न्यायालय संचालन को सुव्यवस्थित करने में एकीकृत किया जाना है। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन विकसित एआई आधारित उपकरण और प्लेटफार्म, चरण-III की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, देशभर की न्यायपालिका द्वारा उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया हैं ।

****